भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4136
गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

ग्रिड से जुड़े छत पर संस्थापनीय सौर कार्यक्रम

4136. श्री धनुष एम॰ कुमारः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रिड से जुड़े छत पर संस्थापनीय और छोटे सौर विद्युत संयंत्र कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु राज्य को कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम को तमिलनाडु में तेनकासी क्षेत्र, जहां सौर विद्युत की अपार संभावना है, तक बढ़ाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में कब तक निर्णय लिया जाएगा?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ): फरवरी, 2019 में अनुमोदित "ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम" के फेज-II के तहत आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सौर संयंत्रों की संस्थापना के लिए निविदा लागत या बेंचमार्क लागत का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो और 3 किलोवाट पीक से 10 किलोवाट पीक तक की संयंत्र क्षमता के लिए निविदा लागत या बेंचमार्क लागत का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) में साझा सुविधाओं के लिए 500 किलोवाट तक विद्युत आपूर्ति संयंत्रों की संस्थापना के लिए निविदा लागत का 20 प्रतिशत तक या बेंचमार्क लागत, जो भी कम हो, प्रदान किया जा रहा है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए की पात्र क्षमता 500 किलोवाट पीक की सीमा तक सोसायटी में प्रति घर 10 किलोवाट पीक तक सीमित होगी, सामान्य गतिविधियों के लिए आरटीएस की संस्थापना के समय उस जीएचएस/आरडब्ल्यूए में व्यक्तिगत घरों पर पहले से संस्थापित आरटीएस सम्मिलित हैं। सीएफए का लाभ, व्यक्तिगत निवास/जीएचएस/आरडब्ल्यूए को विद्युत आपूर्ति करने वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से उठाया जा सकता है।

बेसलाइन से अधिक क्षमता संवर्धन के लिए डिस्कॉम के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

यह कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य में तेनकासी क्षेत्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के चरण-II के तहत कोई सीएफए जारी नहीं की गई है। हालांकि "ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप और लघु सौर विद्युत संयंत्र कार्यक्रम" के चरण-I के तहत तमिलनाडु राज्य में रूफटॉप सौर संयंत्रों की संस्थापना के लिए लगभग 78.41 करोड़ रु. तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टेडा) को सीएफए के रूप में जारी किए गए हैं।

*****